अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 133/2023

08
17.01.24

राज्य

बनाम

अनिल कुमार झा, पिता–स्व० देव चन्द्र झा, निवासी पता 1005, गोपाल मार्केटिंग कॉम्पलेक्स, रोड नं0–05, अशोक नगर, थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची वर्त्तमान निवासी – रिलायंस फ्रेश घाघरा, थाना–डोरण्डा, जिला राँची (झारखण्ड) .... विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1518/डी०सी०बी० दिनांक 15.11.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी अनिल कुमार झा, पिता–स्व० देव चन्द्र झा, निवासी पता 1005, गोपाल मार्केटिंग कॉम्पलेक्स, रोड नं0–05, अशोक नगर, थाना–अरगोडा, जिला–राँची वर्त्तमान निवासी –रिलायंस फ्रेश घाघरा, थाना–डोरण्डा, जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

(1) अरगोड़ा थाना कांड सं0– 34/2023, दिनांक 24.01.2023, धारा 406/420/467/468/471/504/506/34 भा0द0वि0

(2) अरगोड़ा थाना कांड सं0– 41/2020, दिनांक 02.02.2020, धारा 406/420/34 भा०द०वि०

(3) अरगोड़ा थाना कांड सं0–26/2020, दिनांक 17.01.2020, धारा 406/420/34 भा०द०वि० (4) अरगोड़ा थाना कांड सं0 351/2018 दिनांक 03.11.2019 धारा 147/148/149/447/427/506/385 भा०द०वि०

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

(5) डोरण्डा थाना सन्हा सं० 54/2023 दिनांक 05.10.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक हटिया, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक–2705/उपा०, दिनांक्–07.11.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि अनिल कुमार झा, पिता–स्व० देव चन्द्र झा, निवासी पता 1005, गोपाल मार्केटिंग कॉम्पलेक्स, रोड नं0–05, अशोक नगर, थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची वर्त्तमान निवासी –रिलायंस फ्रेश घाघरा, थाना–डोरण्डा, जिला राँची एक असामाजिक व्यक्ति है, जिन्होने राँची के डोरण्डा/अरगोडा थाना क्षेत्र में जमीन हड़पन/धोखाधड़ी करने आदि कई अपराधिक घटनाओ को अंजाम देकर लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त कर दिया है। उनके द्वारा राँची जिला के अरगोड़ा/डोरण्डा थाना क्षेत्र मे कई बार जमीन हड़पने/ धोखाधड़ी जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने से जनता दहशत में है, जो प्रमाणित करता है कि वे एक असमाजिक व्यक्ति है, जिसके कारण लोक व्यव्स्था अशांत होने की संभावना बनी रहती है विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार – पुलिस के द्वारा लगाये गये सारे आरोप गलत एवं बेबुनियाद है। विपक्षी एक सभ्य व्यक्ति है, वे विगत 25 वर्षो से रियल स्टेट एवं डेवलपरस् का कार्य कर रहे है। पुलिस द्वारा प्रतिवेदित मामलो मे अरगोड़ा थाना कांड सं० 34/2023 पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद से संबंधित है। अरगोड़ा थाना कांड सं० 41/2020 वणिज्यिक लेन देन के कारण उत्पन्न विवाद से संबंधित है। विपक्षी का उक्त वाद के सूचक से सुलह हो गया है। अरगोड़ा थाना कांड सं० 26/2020 सिविल विवाद से संबंधित है। विपक्षी का उक्त वाद के सूचक से सुलह हो गया है। विपक्षी के खिलाफ दर्ज सन्हा मे लगाये गये आरोप झुठे एवं बेबुनियाद है। सन्हा वाले दिन अर्थात दिनांक

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 3

05.10.2023 को भी विपक्षी बेंगलुरू गये थे, वे रॉंची मे मौजुद नही थे।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के खिलाफ दायर लगभग सभी मामले दिवानी प्रकृति के प्रतीत होते है। प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के खिलाफ झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत कार्रवाई करने का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत वाद की कार्रवाई संधाणीय नही है। अतएव इस वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रतिकूल आदेश के समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची इस आदेश की एक प्रति अनिल कुमार झा, पिता–स्व० देव चन्द्र झा, निवासी पता 1005, गोपाल मार्केटिंग कॉम्पलेक्स, रोड नं0–05, अशोक नगर, थाना–अरगोड़ा, जिला–रॉंची वर्त्तमान निवासी – रिलायंस फ्रेश घाघरा, थाना–डोरण्डा, जिला रॉंची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
रॉंची

जिला दण्डाधिकारी
रॉंची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.02.05 22:27:52 -08:00
Location: 192.168.1.4